आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :अयोध्या,जनपद :सुल्तानपुर,तहसील :कादीपुर
वाद सख्या :-5078/2022
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202204680405078
बाबा गनपत सिंह मेमोरियल ट्रस्ट मेवपुरबरचौली बनाम 30प्र0सरकार
अतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारे–80(1) उ0प्र0रा0संहिता–2006 बाबा गनपत सिंह मेमोरियल ट्रस्ट मेवपुरबरचौली द्वारा प्रबन्धक श्रीमती आरती सिंह पत्नी नरेन्द्र प्रताप सिंह निवासीग्राम–मेवपुरबरचौली, परगना–अल्देमऊ, तहसील–कादीपुर जिला–सुलतानपुर ने इस आशय से योजित किया कि वादिनी ग्राम–मेवपुरबरचौली परगना–अल्देमऊ तहसील–कादीपुर जिला–सुलतानपुर की स्थायी निवासिनी है। वाद भूमि गाटा सं0–506मि0/1.761हे0 मे से रकबा 0.234हे0,517मि0/0.288हे0, 518मि0/0.288हे0 स्थितग्राम–पहाडपुरकलां परगना–अल्देमऊ तहसील–कादीपुर जिला–सुलतानपुर वादिनी ने एक किता दस्तावेज बैनामा नरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री रामउजागिर सिंह निवासीग्राम–मेवपुरबरचौली, परगना–अल्देमऊ तहसील –कादीपुर जिला–सुलतानपुर से जुज भाग गाटा सं0–506मि0/0.234हे0, 517मि0/0.288हे0, 518मि0/0.288हे0 स्थितग्राम–पहाडपुरकलां परगना–अल्देमऊ तहसील–कादीपुर जिला–सुलतानपुर का तहरीर कराकर उस पर काबिज दखील रहकर उसकी मालिक व स्वामिनी है। वादिनी वादभूमि मे मकान व बाउन्ड्रीवाल व खेल का मैदान बनाकर बतौर आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग व उपभोग करती चली आ रही है। वादभूमि आवादी के रूप मे उपयोग व उपभोग की जा रही है। वादभूमि पर कृषि कार्य नही हो रहा है। अन्त मे वादिनी ने वादभूमि को अकृषिक घोषित कराने हेतु याचना किया है।

तहसीलदार कादीपुर से जांच आख्या प्राप्त की गयी जिसमे उल्लेख है कि ग्राम–पहाडपुरकलां परगना–अल्देमऊ तहसील–कादीपुर जिला–सुलतानपुर की खतौनी बाबत 1430 ता 1435फ0 की खाता सं0–369 की गाटा सं0–506मि0/0.234हे0 राजस्व अभिलेख मे बाबा गनपत सिंह मेमोरियल ट्रस्ट मेवपुरबरचौली परगना–अल्देमऊ तहसील–कादीपुर जिला–सुलतानपुर के नाम संकमणीय भूमिधर अंकित है। मौके पर उक्त ट्रस्ट का भवन व खेल का मैदान तथा बाउन्ड्रीवाल बना है। कृषि कार्य नही किया जाता है तथा खाता सं0–199 की गाटा सं0–517मि0/0.288हे0, 518मि0/0.288हे0 दो किता 0.576हे0 पर राजस्व अभिलेख मे बाबा गनपति सिंह मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा मुख्य ट्रस्टी श्रीमती आरती सिंह पत्नी नरेन्द्र प्रताप सिंह निवासीग्राम–मेवपुरबरचौली परगना–अल्देमऊ तहसील–कादीपुर जिला–सुलतानपुर के नाम अंकित भूमि है। उक्त दोनो भूखण्ड खडन्जा मार्ग पर स्थित है। कृषि कार्य नही किया जाता है। उक्त सभी भूखण्डों के सम्बन्ध मे कोई विवाद नही है। अकृषिक भूमि घोषित होने योग्य है। दोनो भूखण्ड मे ट्रस्ट का भवन, खेल का मैदान व बाउन्ड्रीवाल बनी है। उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 की धारा–80(1) के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय सुलतानपुर द्वारा निर्धारित दर से मूल्यांकन 4395000रू0 होता है जिसका 1 प्रतिशत 43950रू0/– रूपया जमा कोष है। ट्रेजरी चालान संलग्न है तथा इसके अतिरिक्त न्याय शुल्क के रूप मे मूल्यांकन का 1 प्रतिशत का कोर्ट फीस स्टाम्प संलग्न है। अन्त मे अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति किया है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। वादीपक्ष को सुना। वादिनी ने अपने अभिलेखीय साक्ष्य मे ग्राम–पहाडपुरकलां, परगना–अल्देमऊ, तहसील–कादीपुर सुलतानपुर की खतौनी वर्ष 1430 ता 1435 फसली की खाता सं0–369 की गाटा सं0–506/1.761हे0 व खाता सं0–199 की गाटा सं0–517मि0/0.288हे0, गाटा सं0–518मि0/0.288हे0 की नकल प्रस्तुत किया है। वादिनी के द्वारा दाखिल खतौनी वर्ष 1430 ता 1435 फसली की खाता सं0–369 की गाटा सं0–506/1.761हे0 व खाता सं0–199 की गाटा सं0–517मि0/0.288हे0, गाटा सं0–518मि0/0.288हे0 स्थितग्राम–पहाडपुरकलां, परगना–अल्देमऊ, तहसील–कादीपुर, जिला–सुलतानपुर के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी उक्त गाटे में बतौर संकमणीय भूमिधर दर्ज है। तहसीलदार कादीपुर ने अपनी आख्या मे वाद भूमि को अकृषिक किये जाने की संस्तुति किया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित दर के अनुसार वादिनी द्वारा उदघोषणा शुल्क राजकीय कोष मे जमा किया गया है तथा इसके अतिरिक्त न्याय शुल्क के रूप मे मूल्यांकन का 1 प्रतिशत का कोर्टफीस स्टाम्प संलग्न है। वाद अविवादित है। कृषि कार्य न किये जाने के कारण खाता सं0–369 की गाटा सं0–506मि0/0.234हे0 व खाता सं0–199 की गाटा सं0–517मि0/0.288हे0, 518मि0/0.288हे0 स्थितग्राम–पहाडपुरकलां, परगना–अल्देमऊ, तहसील–कादीपुर जिला–सुलतानपुर को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

ग्राम–पहाडपुरकलां, परगना–अल्देमऊ, तहसील–कादीपुर, जनपद–सुलतानपुर की खतौनी वर्ष 1430 ता 1435 फसली की खाता सं0–369 की गाटा सं0–506मि0/0.234हे0 व खाता सं0–199 की गाटा सं0–517मि0/0.288हे0, 518मि0/0.288हे0 को अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश की प्रति उपनिबन्धक कादीपुर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाय। आदेश की अमलदरामद